संख्या-22/2015/776/49-3-2015-100(49)/2014

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2015

विषय: डा0 राम मनोहर लोहिया सहकारी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 88/लेखा-अ, दिनांक 19मई,2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी आन्दोलन को और अधिक सफल बनाने एवं गति प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया सहकारी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 25,00,000/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :--

(1) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में तथा उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस मद/ प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है। अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था एवं वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता(आयोजनागत)-800-अन्य व्यय, 12-डा0 राम मनोहर लोहिया सहकारी पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च,2015 में प्रतिनिधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राम किशोर
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 22/2015/776(1)/49-3-2015-100(49)/2014, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।

----2/---

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/बजट अनुभाग-1
4- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
5- वित्त नियंत्रक, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी,सूचना, मा0 मुख्य मंत्री।
7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

राम किशोर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।